Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

संजू बनाम **सरकार**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **036** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा से पत्रांक/1721 दिनांक 26.07.2024 से टिप्पणी/अभिमत मय अनुसंधान पत्रावली के प्राप्त हुये है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अनुसंधान पत्रावली के हम किता रहें। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में न्यायालय में मूल प्रकरण संख्या 006/2024 (गौ–वंश) लम्बित होकर विचाराधीन है। दोनो प्रकरणों में एक ही वाहन के निस्तारण का प्रश्न है, अतः इस प्रकरण की सुनवाई मूल प्रकरण के साथ की जाकर आदेश पारित किया जाना उचित है। अतः दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई हेतु रखा गया। मूल प्रकरण संख्या 006/2024 (गौ–वंश) अनवानी सरकार बनाम संजू वगैराह में न्यायालय आदेश से प्रार्थी संजू पिता चन्दर जाति बंजारा निवासी नवादा तहसील नागदा जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) द्वारा जुर्माना राशि रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 13 GB 5016** जिसके इंजन नंबर **TNN4E87735** चेचीस नंबर **MAIZKN2TNKN5E401** को रूपये 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तों पर सिुपर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये गये है, अतः प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/रसीद व अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर पत्रावली पुनः पेश हो, अन्यथा मूल प्रकरण संख्या 006/2024 (गौ–वंश) अनवानी सरकार बनाम संजू वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 निर्णय दिनांक 10.09.2024 के साथ हम किता रहे। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र निर्णित इन्द्राज किया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **–ह0–** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 10.09.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	